प्रेस नोट - 35

दिनांक- 09.04.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 06 माह का कठोर कारावास एवं 8,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 186/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज के अभियुक्त राज कुमार गोशाई पुत्र सुदर्शन निवासी पूरे गोशाईमठ मजरे खारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को *04 माह में* दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एफटीसी-प्रथम रायबरेली द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 09.04.2024 को 06 माह का कठोर कारावास व 8,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा उ0नि0 श्री शत्रोहनलाल वर्मा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 13.10.2023 को अभियुक्त राज कुमार गोशाई पुत्र सुदर्शन निवासी पूरे गोशाईमठ मजरे खारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी के कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर मु0अ0सं0 186/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 श्री करुणा शंकर दूबे द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-178 दिनांक 23.10.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।